न्यायालय, अनुमंडल पदाधिकारी–सह–नीलाम पत्र पदाधिकारी,दुमका

सी0सी0 नं0–02/13–14

सिविल सर्जन, दुमका।

बनाम

श्री विपिन कुमार सिंह, लिपिक प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र, रामगढ़, जिला–दुमका।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश फलक	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3

22/3/25

आदेश

यह नीलाम पत्र सिविल सर्जन, दुमका के द्वारा सर्टिफिकेट देनदार विपिन कुमार सिंह, लिपिक प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र, रामगढ़ के विरूद्ध कुल 230800/–(दो लाख तीस हजार आठ सौ) रू0 की वसूली हेतु लोक मांग अधिनियम की धारा– IV एवं VI के तहत सिविल सर्जन, दुमका के पत्रांक–1883 दिनांक–16.07.13 के द्वारा अधियाचना प्राप्त हुआ, जिसे दिनांक–25.07.13 को पंजीकृत कर लिया गया।

देनदार के तरफ से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लोक मांग अधिनियम की धारा–9 के तहत् आपत्ति आवेदन दाखिल किया गया जिसे इस न्यायालय के ज्ञापांक–02, दिनांक–06.01.2021 के द्वारा अधियाची पदाधिकारी को भेजते हुए बिन्दुवार प्रतिवेदन की मांग की गयी। आपत्ति आवेदन में मूलतः निम्नलिखित बिन्दुओं पर आपत्ति की गयी है :–

1. सर्टिफिकेट देनदार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगढ़ में लिपिक के पद पर पदस्थापित थे एवं 230800/– रू0 की गबन के मामले को लेकर देनदार को सिविल सर्जन, दुमका के पत्रांक–1952 दिनांक–24.07.13 के द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दी गयी।
2. सर्टिफिकेट देनदार उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायाल, झारखण्ड में रीट पिटिशन नं0–7618/2013 दाखिल किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय,राँची के द्वारा पारित आदेश दिनांक–08/25.02.20 के द्वारा सेवा बर्खास्त आदेश को निरस्त कर सेवा नियमित करने का आदेश पारित किया गया।
3. माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा पारित आदेश के आलोक में सिविल सर्जन, दुमका के पत्रांक–2099 दिनांक–18.09.20 के द्वारा सेवा बर्खास्तगी आदेश को वापस लेते हुए देनदार को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरैयाहाट में पदस्थापित किया गया।
4. माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में विभाग द्वारा देनदार पर लगाए गए गबन के आरोप को दोष सिद्धी नहीं कर पाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सेवा बर्खास्तगी आदेश को रद्ध कर दिया गया है।

देनदार के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में मांग की राशि (पूर्ण अथवा आंशिक राशि) की वसूली देनदार से करना माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना बताते हुए प्रश्नगत नीलाम पत्र वाद को रद्ध करने का अनुरोध किया है।

देनदार के तरफ से विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल आपत्ति आवेदन पर अधियाची पदाधिकारी–सह–सिविल सर्जन, दुमका के पत्रांक–2437, दिनांक–01.09.2022 के द्वारा जबाब दाखिल किया गया है, जो निम्न है :–

1. देनदार के विरूद्ध प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ़ के जांच प्रतिवेदन में रोकड़ पंजी की जांच की गयी जिसमें 230800.00 रू0 की कमी पायी गयी जिसका प्रभार देनदार द्वारा नहीं दिया गया है।
2. देनदार के विरूद्ध जांच पदाधिकारी एवं उपस्थापन पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर में महत्वपूर्ण अभिलेख इन्मेन्ट्री में नहीं पायी गयी जिसके कारण गबन/अनियमितता का आकलन सही–सही नही किया जा सका है।
3. माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका W.P.(S) No-7618/2013 में पारित आदेश के आलोक में बर्खास्तबी आदेश को रद्ध कर देनदार को पुनः सेवा नियमित किया गया है।

उन्होनें नियमानुसार गबन की गयी राशि देनदार से वसूली करने का अनुरोध किया है।

देनदार की तरफ से विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा लिखित बहस दाखिल किया गया है, जो निम्न प्रकार है :–

1. सर्टिफिकेट देनदार के विरूद्ध वर्ष 2007–08 में 230800/–(दो लाख तीस हजार आठ सौ) रू0 का गबन का आरोप है।
2. देनदार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगढ़ में दिनांक–26.03.08 को योगदान किया गया था एवं देनदार को दिनांक–24.07.13 को सेवा से बर्खास्त किया गया जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय झारखंड, राँची में W.P.(S) No-7618/2013 में पारित आदेश दिनांक–08/25.02.20 के द्वारा बर्खास्तगी आदेश को रद्ध करते हुए सेवा नियमित किया गया तदनुसार अधियाची पदाधिकारी के पत्रांक–299 दिनांक–18.09.20 के द्वारा पुनः अपनी सेवा में योगदान देने का निर्देश दिया गया है।
3. माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश में गबन के मामले का साक्ष्य नहीं पाया गया है।
4. देनदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल आपत्ति आवेदन का अधियाची पदाधिकारी द्वारा न तो बिन्दुवार प्रतिवेदन दाखिल किया है और न ही स्पष्ट रूप से जबाव दाखिल किया है। अतः उन्होनें देनदार से अधियाचित राशि की वसूली अवैध बताते हुए लोक मांग अधिनियम के तहत् वसूली योग्य नहीं होने तथा इस वाद को समाप्त करने का अनुरोध किया है।

उभय पक्ष के तरफ से दाखिल कागजातों का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधियाची पदाधिकारी के द्वारा देनदार पर लगाये गये गबन का आरोप संदेहास्पद है, जैसा कि अधियाची पदाधिकारी के प्रतिवेदन पत्रांक–2437 दिनांक–09.09.23 के पारा 4 में उल्लेख है। उन्होनें यह भी उल्लेख किया है कि इन्भेन्ट्री में देनदार के कार्य अवधि का महत्वपूर्ण अभिलेख नहीं पायी गयी जिससे गबन/अनियमितता का सही–सही आकलन नहीं किया जा सका परन्तु प्रखंड विकास पदाधिकरी, रामगढ़ के पत्रांक–431, दिनांक–21.08.08 के द्वारा उपायुक्त को समर्पित प्रभार/इन्भेन्ट्री से संबंधित प्रतिवेदन में उल्लेख है कि कर्मियों के बीच "सम्पूर्ण प्रभार का आदान–प्रदान कर ली गयी है, एवं इन्भेन्ट्री रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता नहीं है।" इस प्रकार अधियाची पदाधिकारी का कहना कि इन्भेन्ट्री रिपोर्ट में महत्वपूर्ण अभिलेख का नहीं पाना दूसरी तरफ संबधित कर्मी के द्वारा सम्पूर्ण प्रभार का आदान–प्रदान होना देनदार द्वारा गबन किये जाने का आरोप संदेहस्पद प्रतीत होता है। माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा W.P.(S) No-7618/2013 में दिनांक–25.02.20 को पारित आदेश में देनदार से गबन/अनियमितता के आरोप को सही होने का उल्लेख नही किया गया है, और न ही सम्बन्धित राशि की वसूली करने का निर्देश है। यह भी उल्लेखनीय है कि सर्टिफिकेट देनदार अधियाची पदाधिकारी के अधिनस्त कर्मी है एवं वर्तमान में कार्यरत है। अधियाची पदाधिकारी ही निकासी एवं व्यय पदाधिकारी है। यदि गबन/अनियमितता की राशि सत्य है तो अधियची पदाधिकारी को अपने अधिनस्थ कर्मी (देनदार) से तथाकथित गबन की राशि की वसूली कर ली गयी होती एवं वसूली हेतु लोक मांग अधिनियम के तहत् राशि की वसूली हेतु अधियाचना दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होती, जो अपने आप में संदेहस्पद प्रतीत होता है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधियाची पदाधिकारी द्वारा इस वाद में अभिरूची नही ली जा रही है।

अतः बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग अधिनियम की धारा 10 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इस वाद की कार्यवाही..... की जाती है। पंजी 10 में दर्ज करें।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल पदाधिकारी
–सह–
नीलाम पत्र पदाधिकारी
दुमका।

अनुमंडल पदाधिकारी
–सह–
नीलाम पत्र पदाधिकारी,
दुमका

Digitally signed by localhost
Date: 2025.06.04 12:54:21 +05:30
Location: 192.168.29.81